

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (विविध)-10/2017- **240**
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- **19/09/2023**

विषय:- खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा झारखण्ड राज्य
खाद्य आयोग हेतु **Non Building Assets** में ईकाईवार व्यय विवरणी के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2420 दिनांक-02.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-15-72/2017-NFSA (336833), दिनांक-23.07.2025, दिनांक-14.02.2025 एवं दिनांक-11.04.2023 की प्रति आयोग को उपलब्ध कराते हुए उक्त पत्रों द्वारा मांगी गई सूचना की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि उक्त मामला झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग हेतु Non Building Assets में ईकाईवार व्यय विवरणी की मांग से सम्बन्धित है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-15-72/2017-NFSA (336833), दिनांक-11.04.2023 द्वारा राज्य सरकार के पत्रांक-963 दिनांक-18.03.2023 का उल्लेख करते हुए सूचित किया गया है कि उक्त पत्र के अवलोकन के उपरान्त कुल-04 बिन्दु सामने आए हैं, जो निम्नवत् हैं-

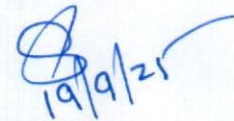
- (i) Utilization Certificate is in the proper format and is in order.
- (ii) Some items mentioned in the item-wise list provided by the State Govt. viz. Annual Report Printing, NFSA 13 Booklet Printing, can not be the part of one-time financial Assistance as the assistance is provided for non-building assistance and the expenditure on the above items is recurring in nature. Further, these items were not included in the initial proposal submitted by the Government of Jharkhand.
- (iii) At present, against the post of five Members, only one Member ie Smt Shabnam Parveen is posted and other posts are vacant.
- (iv) State Government has not furnished the details of items, on which Rs 12.50 lakhs would be spent. Item-wise breakup of the remaining Rs 12.50 lakh is required.

बिन्दु संख्या-(i) स्वतः स्पष्ट है। बिन्दु संख्या-(ii) में Annual Report Printing, NFSA 13 Booklet Printing के विषय पर आपत्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि वार्षिक प्रतिवेदन एवं NFSA 13 Booklet Printing के सम्बन्ध में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये अनुमोदन के आलोक में उक्त निधि से भुगतान किया गया है। बिन्दु संख्या-(iii) के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति विभाग के स्तर पर अपेक्षित है। बिन्दु संख्या-(iv) के सम्बन्ध में आयोग के पत्रांक-88 दिनांक-31.01.2023 द्वारा Item-wise Expenditure का प्रस्ताव निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया

गया था, जिसे निदेशालय के पत्रांक-218 दिनांक-03.02.2023 द्वारा विभाग को प्रेषित किया गया है।
प्रासंगिक-पत्र के आलोक में उक्त प्रस्ताव की प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

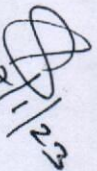
Jharkhand Government
Jharkhand State Food Commission

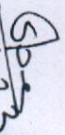
Detailed proposal including justification for financial central assistance for Non-building assets of Jharkhand State Food Commission (JSFC) set up under National Food Security Act, 2013 (NFSA).

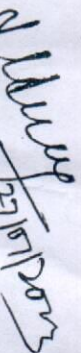
1. Setup of Server and Networking

S.No.	Description of Non-Building Assets	Quantity	Amount
1	Make HP Server (HPE DL 180 GEN 10 Server), Intel Processor, RAM 32GB, HDD-1000GB, Windows-Server.	01	5,29,985
2	Make HP 24 Port Managed Switch	01	11,050
3	D-Link Cat 6 cable	600 mtrs	21,000
4	24 Port Patch Panel	01	7,500
5	Input Output Box	20	12,000
6	Patch Cable	40	10,000
7	AC 2 Tonn Split	01	78,000
8	UPS 10 KVA "120AH Battery 16 NOS, Rack & cable	01	4,65,000
9	32U Server Rack	600 mtrs	48,000
10	Wiring & Laying of Cat 6 Cable with Casing/Conduit	20	33,000
11	I/O Box Fixing with key stone	20	5000
12	Crimping of Cat 6 in Rack with Patch Pannel	20	4000
13	Installation & Configuraion of Server	01	25,000
	GST		2,24,916
	Total		14,74,451


अवर सचिव
(सिकन्दर राय)


सदस्य सचिव
(संजय कुमार)


सदस्य
(शबानम परवीन)


अध्यक्ष
(हिमाशु चौधरी)